

न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी (अतिरिक्त जिला कलक्टर) बांसवाड़ा (राजस्थान)
पीठासीन अधिकारी – नरेश बुनकर, RAS

अतिरिक्त जिला कलक्टर, बांसवाड़ा
प्रकरण संख्या : 04 / 2020

अभियुक्त :-

राजस्थान राज्य जरिये खाद्य
सुरक्षा अधिकारी बांसवाड़ा

1. श्री पंकज जैन पुत्र श्री लक्ष्मीचन्द जैन जाति जैन मालिक विक्रेता मैसर्स मनपसन्द स्वीट मार्ट, परतापुर जिला बांसवाड़ा। स्थायी पता— मेन तहसील रोड परतापुर जिला बांसवाड़ा।
2. श्री राजमल जैन पुत्र श्री छगनलाल जैन जाति जैन मालिक विक्रेता मैसर्स दोसी एजेन्सीज पुराना बस स्टैण्ड, जलदाय विभाग के सामने परतापुर जिला बांसवाड़ा।
3. मैसर्स दोसी एजेन्सीज पुराना बस स्टैण्ड, जलदाय विभाग के सामने परतापुर जिला बांसवाड़ा।

बनाम

खाद्य सुरक्षा अधिकारी बांसवाड़ा

श्री पंकज जैन पुत्र श्री लक्ष्मीचन्द जैन
श्री राजमल जैन पुत्र श्री छगनलाल जैन

अपराध अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2(ii) खाद्य सुरक्षा एवं मानक
अधिनियम 2006, नियम 2011

निर्णय

दिनांक 27-01-2020

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि श्री अशोक कुमार गुप्ता खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बांसवाड़ा (राज.) के द्वारा दिनांक 18-12-2019 को यह इस्तगासा इस आशय का पेश किया गया कि दिनांक 11-02-2019 को 04.10 पी.एम. बजे बाहैसियत खाद्य सुरक्षा अधिकारी खाद्य पदार्थों की जाँच हेतु मैसर्स मनपसन्द स्वीट मार्ट, परतापुर जिला बांसवाड़ा जिला बांसवाड़ा पर पहुंचा। इस समय संस्थान पर श्री पंकज जैन पुत्र श्री लक्ष्मीचन्द जैन उपस्थित थे। निरीक्षण के दौरान विक्रेता की दुकान पर शूभम् नमकीन के 500 ग्राम वाले 6 पैकेट मूल ही, कम्पनी पैक, सील बन्द स्थिति में आम जनता को विक्रय हेतु रखे पाये। इसमें मिस ब्राण्ड, अनसेफ एवं सब स्टेण्डर्ड का शक होने पर विक्रेता को फार्म नं.5ए पर उक्त शूभम् नमकीन के 500 ग्राम वाले 4 पैकेट मूल ही, कम्पनी पैक, सील बन्द स्थिति में जाँच हेतु खरीदे तथा इनकी कीमत 128 रु. विक्रेता को चुका कर रसीद प्राप्त की। जिस पर विक्रेता तथा गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक की। वास्ते निरीक्षण खाद्य पदार्थ विक्रय अनुज्ञापत्र/रजिस्ट्रेशन - 2019 दिखाने को कहा जिस पर विक्रेता ने खाद्य पदार्थ विक्रय अनुज्ञापत्र/रजिस्ट्रेशन प्रस्तुत नहीं किया। जाँच हेतु खरीदशुदा उक्त चारो पैकेट को प्लास्टिक के चार साफ सुखे एवं खाली जार में मूल ही भर कर बोक्सों का मुह ढक्कन की सहायता से कसकर एयर टाईड बन्द किया। एक नमूना भाग मय फार्म नं. 6 की प्रति आउटकवर में सील बन्द कर सील मोहर कर जाँच हेतु खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला, उदयपुर को जमा करवाया।

खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला उदयपुर (खाद्य एवं मानक प्रयोगशाला उदयपुर) से प्राप्त जाँच रिपोर्ट अनुसार विक्रेता से वास्ते नमूना जाँच हेतु क्रय किया गया शूभम् नमकीन खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 3(1)(ZF)(C)(i) के तहत मीसब्राण्डेड एवं धारा 3(1)(ZZ)(ii)(xi) के तहत अनसेफ होना पाये जाने से विक्रेता द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) तथा 26



नरेश बुनकर
न्याय निर्णयन अधिकारी
जिला कलक्टर

की उप धारा 2(v) उल्लंघन किया है। साथ ही अभियुक्त सं. 2, 3 ने उक्त माल कहीं से प्राप्त करने सम्बन्धित सूचना नहीं देकर उक्त अधिनियम की धारा 27(2)(d) एवं सहपटीत धारा 26(2)(v) का उल्लंघन किया है। जिस पर उक्त अधिनियम की धारा 51, 58 के अन्तर्गत जुर्माने से दण्डित करने निवेदन किया।

प्रकरण दिनांक 10-01-2020 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर आरोपी को जरिये समन तलब किया गया।

दिनांक-27-01-2020 को अभियुक्त श्री पंकज जैन पुत्र श्री लक्ष्मीचन्द जैन, श्री राजमल जैन पुत्र श्री छगनलाल जैन में उपस्थित होकर प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया, जिसमें उन्होंने खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत अपना अपराध स्वीकार कर निवेदन किया कि न्यायालय जो भी जुर्माना करे, वह स्वीकार है।

प्रकरण में आरोपी द्वारा अपराध स्वीकार कर लेने के कारण अन्य किसी साक्ष्य की अब आवश्यकता नहीं रहती है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं अभियुक्त को सुना। पत्रावली में उपलब्ध अभिलेखों का भी गहनता पूर्वक अवलोकन किया एवं उस पर मनन किया। खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला उदयपुर (खाद्य एवं मानक प्रयोगशाला उदयपुर) से प्राप्त जांच रिपोर्ट दिनांक 06-03-2019 के अनुसार विक्रेता से वास्ते नमूना जांच हेतु क्रय किया गया शूमम् नमकीन खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 3(1)(Zf)(C)(i) के तहत मीसब्राण्डेड एवं धारा 3(1)(zz)(ii)(xi) के तहत अनसेफ होना पाया गया। प्रकरण में अभियुक्त द्वारा स्वयं अपराध स्वीकार किया है। ऐसी स्थिति में अब किसी अन्य साक्ष्य की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। इस कारण प्रकरण का अंतिम निस्तारण किया जाना हम उचित समझते हैं।

अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 3(1)(Zf)(C)(i) के तहत मीसब्राण्डेड एवं धारा 3(1)(zz)(ii)(xi) के तहत अनसेफ पाया गया शूमम् नमकीन विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) व 26 की उपधारा 2(v) जो उक्त अधिनियम की धारा क्रमशः 51 साथ ही क्रम सं. 2 व 3 ने माल प्राप्ति की सूचना नहीं देकर अधिनियम की धारा 27(2)(d) एवं 26(2)(v) का उल्लंघन का उल्लंघन होना पाया गया। जिस पर धारा 58 के तहत आरोपी दोषी है। चूंकि मौके पर विक्रेता ने अपना टर्न ओवर 12 लाख रुपये वार्षिक से कम होना बताया उक्त विक्रेता को अधिनियम की धारा 31(2) के तहत खाद्य पदार्थ रजिस्ट्रेशन आवश्यक है जो विक्रेता के पास मौके पर नहीं था। अतः आरोपी को दोष सिद्ध घोषित किया जाकर जाकर श्री पंकज जैन पुत्र श्री लक्ष्मीचन्द जैन निवासी परतापुर को रुपया 15000/- (पन्द्रह हजार) श्री राजमल जैन पुत्र श्री छगनलाल जैन निवासी परतापुर को रुपया 20000/- (बीस हजार) एवं दोसी एजेन्सीज, परतापुर को रुपया 20000/- (बीस हजार) का अर्थ दण्ड से दण्डित किया जाता है। खाद्य सुरक्षा एवं मानक नियम 2011 के 3.1.2 के बिन्दू संख्या 3 में उल्लेखित आयु भेद 0210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, 04-लोक स्वास्थ्य, 800-अन्य प्राप्तियां, (03)-खाद्य सुरक्षा के अन्तर्गत अनुज्ञा-पत्र शुल्क आदि में उक्त जुर्माना राशि तीन दिवस में राजकोष में जमा कराकर चालान की प्रति इस न्यायालय में पेश करे।

निर्णय आज दिनांक 27-01-2020 खुले न्यायालय सुनाया गया।



(Handwritten signature)
(नरेश बुमकर)
न्यायाधीन निर्णयन अधिकारी
(अतिरिक्त जिला कलक्टर)
बासवाड़ा (राज.)

